न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – **श्री विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

अपील संख्याः **2024/04** दायर दिनांक **15.03.2024**

अपीलार्थी **बनाम्** **प्रत्यर्थीगण**

अपीलार्थी	प्रत्यर्थीगण
1. नूर बानों पत्नी मोहम्मद अयूब जाति शैरानी निवासी गौसिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	1. सरपंच ग्राम पंचायत शैरानी आबाद, पंचायत समिति डीडवाना तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0। 2. हुसैन खां पुत्र उमर खां जाति शैरानी निवासी गौसिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0। 3. तहसीलदार छोटी खाटू।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 20.12.2022 जो कि वाके सरहद शैरानी आबाद में स्थित खसरा सं0 1395/217 रकबा 0.2400 हैक्टे0 बारानी प्रथम में से अपीलान्ट के हक में किये गये रजिस्ट्रर्ड बैचाण दिनांक 19.05.2022 को 1/2 भूमि के संबन्ध में भरा गया।

उपस्थित :–

1. श्री शरीफ़ शैरानी वकील अपीलांट।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.03.2025

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै शैरानी आबाद में स्थित खेत खसरा सं0 1395/217 रकबा 0.2400 हैक्टे0 भूमि में से अपीलांट द्वारा खातेदारी (विक्रता) प्रत्यर्थी सं0 हुसैन खां पुत्र उमर खां जाति शेरानी निवासी शैरानी आबाद से रकबा 0.2400 हैक्टे0 में से 1/2 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19.05.2022 को खरीद की थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख उप पंजीयक छोटी खाटू कार्यालय में पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 73 में पृष्ठ सं0 26 क्रम सख्या 202203171100716 पर पंजीकृत किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 157 के पृष्ठ सं0 245 से 254 पर चस्पा किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी सरपंच ग्राम पंचायत शेरानी आबाद द्वारा भरा गया नामांतरण गलत रूप से भरे जाने के कारण निम्न आधारों पर सही रूप से नामांतरण दर्ज होने योग्य है :–

अपील के आधार

योग्य अधिनस्थ सरपंच ग्रांम पंचायत शेरानी आबाद द्वारा उक्त नामांतरण दर्ज करने में न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः उक्त नामांतरण अधीन अपास्त होकर सही रूप से दर्ज होने योग्य है।

योग्य अधिनस्थ सरपंच ग्राम पंचायत शेरानी आबाद द्वारा उक्त नामांतरण दर्ज करने में घौर वैधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः उक्त नामांतरण अधीन अपील अपास्त होकर सही रूप से दर्ज होने योग्य है।

प्रत्यर्थी सं0 सरपंच ग्राम पंचायत शैरानी आबाद द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रूप से विवेचन ना करते हुये उक्त आदेश पारित किया है। अतः उक्त नामान्तकरण अधीन अपील अपास्त होकर सही रूप से दर्ज होने योग्य है।

वाकै सरहद शेरानी आबाद में स्थित [illegible] खसरा सं0 1395/217 रकबा 0.2400 हैक्टे0 बारानी प्रथम में से 1/2 हिस्सा खरीद सुदा [illegible] की जगह 1/4 हिस्सा दर्ज हो जाने की जानकारी कभी भी अपीलान्ट को नहीं है। अपीलान्ट सदैव इस विश्वास में रही कि उक्त सम्पूर्ण [illegible] उक्त नामान्तकरण से हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:06 IST
Reason: SelfAttested

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

गया है। किन्तु अभी हाल के समय में अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा की भूमि की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 27.02.2024 को प्राप्त की तो अपीलान्ट को इस बात की सदभावी जानकारी हुई है कि उक्त नामान्तकरण में 1/2 हिस्सा की जगह 1/4 हिस्सा ही त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज हुआ है। (तथा विक्रेता प्रत्यर्थी सं0 2 हुसैन खां का नाम भी 1/4 हिस्सा में दर्ज कर दिया गया, जबकि पुरा 1/2 हिस्सा अपीलान्ट नूर बानों के ही होना था) श्रीमान के समक्ष धारा 05 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है। जिसको अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः उक्त नामान्तकरण अधीन अपील अपास्त होकर सही रूप से दर्ज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर निवेदन है कि अपील बहक अपीलान्ट विरूद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर जैर अपील उक्त नामान्तकरण को अधीन अपील अपास्त फरमाया जाकर वाकै सरहद शैरानी आबाद में स्थित खेत खसरा सं0 1395/217 रकबा 0.2400 हैक्टे0 भूमि में से अपीलान्ट नूर बानों के 1/4 के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावें तथा प्रत्यर्थी सं0 02 हुसैन खां पुत्र उमर खां का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाने का सादर आदेश फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किये गये। प्रत्यर्थी बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस मुख्यतः उनकी अपील मीमो पर आधारित रही तथा उन्होनें अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रूप से विवेचना ना करते हुये नामान्तरण में अपीलान्ट नूर बानों के 1/4 के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा प्रत्यर्थी सं0 02 हुसैन खां पुत्र उमर खां का नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिया। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक् त्रुटि है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद शेरानी आबाद के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या सं0 167 दिनांक 20.12.2022 में पारित ग्रामपंचायत शेरानी आबाद का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 1395/217 रकबा 0.2400 हैक्टे0 भूमि में पुनः अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट के नामान्तकरण की कार्यवाही करावें।

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक **06.03.2025** को [illegible] में सुनाया गया।

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:06 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner